रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2015/ आश्विन 29, 1937
No. 652] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015/ ASVINA 29, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2015

सं. 20/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 799(अ).— केन्द्र सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 467 (अ), के अंतर्गत दिनांक 20 जून, 2012 को प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012- सेवा-कर दिनांक 20 जून, 2012 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

i. आरंभिक पैरा में, प्रविष्टि 29 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा –

"(छ) खाता खुलवाने, नकदी जमा करवाने, नकदी निकलवाने, ई-जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने, आधार सिडिंग करने के माध्यम से बैंकिंग कम्पनी ग्रामीण क्षेत्र शाखा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के दायरे में आने वाले आधारभूत बचत बैंक जमा खाते के संबंध में बैंकिंग कम्पनी के कारोबार सुलभ करता अथवा कारोबार संवाददाता;

(छक) खण्ड (छ) में वर्णित सेवाओं के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता अथवा कारोबार संवाददाता के माध्यस्थ के रूप में कोई व्यक्ति।

(छख) ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कम्पनी के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता अथवा कारोबार संवाददाता; या"

ii. पैरा 2 में, –

(क) (छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी, यथा-

"(छक) बचत बैंक जमा खाते से अभिप्राय है, भारतीय रिज़र्व इससे संबंधित, जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आधारभूत बचत बैंक जमा खाता";

(ख) खण्ड (ट) के उपखण्ड (ii) में "धर्म या आध्यात्मिकता", शब्दों के स्थान पर "धर्म, आध्यात्मिकता या योग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/101/2015-टीआरयू)]

संतोष कुमार मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना, दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012- सेवा-कर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. सं. 467 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की सा.का.नि. 348 (अ) के तहत, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 12/2015-सेवा कर के अंतर्गत अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2015

No. 20/2015-Service Tax

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012, namely:—

1. In the said notification,-

(i) in the opening paragraph, in entry 29, for clause (g), the following clauses shall be substituted, namely-

"(g) business facilitator or a business correspondent to a banking company with respect to a Basic Savings Bank Deposit Account covered by Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in the banking company's rural area branch, by way of account opening, cash deposits, cash withdrawals, obtaining e-life certificate, Aadhar seeding;

(ga) any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in clause (g);

(gb) business facilitator or a business correspondent to an insurance company in a rural area; or"

(ii) in paragraph 2,-

(a) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ga) Basic Savings Bank Deposit Account means a Basic Savings Bank Deposit Account opened under the guidelines issued by Reserve Bank of India relating thereto;"

(b) in clause (k), in sub-clause (ii), for the words "religion or spirituality", the words "religion, spirituality or yoga" shall be substituted.

[F. No. 354/101/2015 -TRU]

SANTOSH KUMAR MISHRA, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, by notification No. 25/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 12/2015 - Service Tax, dated the 30th April, 2015 vide number G.S.R. 348(E), dated the 30th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.